उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-29/2021/255प्र0स0/92-2-21-28-ई-पत्रा0/2021
लखनऊ :: दिनांक:: 09 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-शाहजहॉपुर में निर्माणाधीन जिला सूचना कार्यालय एवं प्रेस क्लब भवन के निर्माण कार्य में विलम्ब एवं त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत बेसमेंट सहित स्वीकृति प्राक्कलन के सापेक्ष अनुबंध गठित होने एवं कार्य प्रगति में होने के बावजूद बिना तथ्यों का सम्यक परीक्षण किये जिलाधिकारी, जनपद-शाहजहॉपुर से बेसमेंट कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग करने, अधीक्षण अभियंता, परि0-बरेली द्वारा आहूत बैठक में प्रतिभाग न किये जाने के क्रम में मॉगे गये स्पष्टीकरण का उत्तर न दिये जाने, शासकीय धन की बरबादी व गबन किये जाने एवं कार्यो के सम्पादन में रूचि न लिये जाने, उच्चानुमोदन में शिथिलता, जिला प्रशासन को गुमराह करते हुये भ्रामक सूचना उपलब्ध कराते हुये अतिरिक्त धनराशि की मॉग करने से विभाग की छवि धूमिल होने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के कारण श्री श्री कृष्ण जायसवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शाहजहॉपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शाहजहॉपुर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या-29/2021/255प्र0स0(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जिलाधिकारी शाहजहॉपुर के पत्र दि0 15-06-2021 व मुख्य अभियंता(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 15.06.2021 एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-बरेली का पत्र दिनांक 10-06-2021 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री श्री कृष्ण जायसवाल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर 02 प्रतियों में एवं अंतर्ग्रस्त अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(संलग्नक सहित)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-शाहजहॉपुर।

4- श्री श्रीकृष्ण जायसवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-शाहजहॉपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।